खसराः– इस पंजी को(Record of Possession) गांव के समस्त भूखण्डों की संख्याओं का क्रमानुसार एक समेकित रजिस्टर है, जिसमें प्रत्येक भूखण्ड की संख्या क्षेत्रफल सम्बन्धित काश्तकार का नाम और सिचांई का साधन, कुए ,बोरिंगं आदि का विवरण अंकित होता है। इस रजिस्टर में खरीफ रबी जायद फसलों के बारे में सम्बन्धित भू–खण्ड तथा यदि उस भूखण्ड में पेड व बाग आदि लगे हैं, तो उसका भी इन्द्राज किया जाता हैं यह रजिस्टर प्रत्येक भूमि की मौके की भौतिक दशा को प्रदर्शित करता है। यह प्रत्येक वर्ष लेखपाल द्वारा 1 अगस्त से 10 अगस्त के बीच मनाया जाता है। इसकी पडताल लेखपाल द्वारा खरीफ फसल हेतु 10 से 25 सितम्बर तक,रबी हेतु 1 जनवरी से 15 फरवरी तथा जायद की 1 मई से 31 मई तक की जानी है। खसरे की नकल 2 रू0 देकर लेखपाल से प्राप्त की जा सकती है।

खतौनीः इस पंजी को (Record of Right) भी कहा जाता है। यह जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी से तैयार की जाती है। किसी भी गांव में खेती करने वाले काश्तकारों का एक समेकित रजिस्टर है। जिसमें प्रत्येक काश्तकारवार संक्रमणीय (बेंच सकने वाले) भूमिधर व आसामी खाते में वर्णमाला क्रम के अनुसार दर्ज होता है। इसमें गांवसभा की भूमि भी दर्ज होती है। जैसे चकरोड,तालाब,आबादी आदि यह प्रत्येक छः वर्ष में एक बार तैयार की जाती है, तथा जब कभी स्वामित्व में परिवर्तन होता है अर्थात जमीन दूसरे के नाम दर्ज होती है,तो उसका भी इन्द्राज किया जाता है। खतौनी कम्प्यूटरीकृत करा दी गई है। कम्प्यूटर से नकल 15 रू0. देकर प्राप्त की जा सकेगी।

प.क.11(क):– यह मृतक खातेदार व्यक्तियों व उसके उत्तराधिकारियों की सूची है। सरकार द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियों का नाम किसी विवाद के न होने पर 30 दिन के अन्दर ही खतौनी में दर्ज कर दिया जाये। लेखपाल–प.क.11क फार्म पर राजस्व निरीक्षक से आदेश प्राप्त कर खतौनी में वारिसों के नाम भूमि दर्ज कर देता है।

ग्राम का नक्शाः– प्रत्येक ग्राम का बन्दोबस्त के बाद एक नक्शा तैयार किया जाता है। जिसमें प्रत्येक खेत को एक स्केच से दिखाया जाता है। इसमें हरेक खेत की माप निकाली जा सकती है।

जिल्द बन्दोबस्त चकबंदी : रिकार्ड आपरेशन और चकबन्दी प्रक्रिया के बाद प्रत्येक खातेदार द्वारा धारित की गई भूखण्ड संख्या माल गुजारी का विवरण इस रजिस्टर में संक्रमणीय, असंक्रमणीय व आसामी के लिए अलग–अलग श्रेणी में वर्णमाला के अनुसार होता है। गांव सभा व सरकारी भूमि भी इस रजिस्टर में दर्ज होती है। इस रजिस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस रजिस्टर की एक कापी लेखपाल के पास व एक प्रति रिकार्ड आफिस में सुरक्षित रहती है।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com